BRLF

सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूरल लाइवलीहूड्स,
बैच-4 (2018-19)

भारत रूरल लाइवलिहूड्स फाउंडेशन की एक पहल

सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइवलीहुडस के लिए प्रवेश खुले हैं

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: अक्टूबर 05' 2018

प्रमुख तिथियां:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : अक्टूबर 05' 2018

कार्यक्रम के बैच 4 की शुरुआत : नवम्बर 28' 2018

उचित ज्ञान एवं कौशल समावेशित क्षमता निर्माण की एक अनूठी पहल जो मध्य भारतीय आदिवासी ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में क्षमता निर्माण चुनौतियों को संबोधित करती है ।

सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूलर लाइवलीहूड्स (सी पी आर एल), मौजूदा और आकांक्षी ग्रामीण पेशेवरों की क्षमता निर्माण चुनौतियों को संबोधित करता है जो की संभवतः उप जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं सरकारी संस्थानों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स (पी आर आई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करेंगें |

प्रस्तावित सर्टिफिकेट कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित/ विमुक्त जनजाति एवं विशेष रूप से अति कमजोर जनजाति वर्ग से सम्बंधित समुदायों के युवा उम्मीदवारों के लिए है, जो बीआरएलएफ द्वारा विशेष रूप से चयनित क्षेत्रो में निवास करते हैं और जहाँ बीआरएलएफ वर्तमान में ग्रामीण आजीविका विकास को विभिन्न परियोजनाओं को सहयोग प्रदान कर रहा है |

प्रमाण पत्र कार्यक्रम का पाठ्यक्रम बहु - केंद्रीय, बहु विषयक सूचना एवं प्रोधोगिकी आधारित है, जो क्षेत्र आधारित सीखने के उपागम पर विशेष रूप से बल देता है. बीआरएलएफ के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में 15 सहभागी सिविल सोसाइटी संगठन सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इनके सहयोग से अभ्यार्थियो को ध्यानपूर्वक परिभाषित अभ्यास समृद्ध शिक्षण अधिगम अनुभव से गुजरने का अवसर प्राप्त होगा. कार्यक्रम में ग्रामीण आजीविका के विभिन्न आयामो को सम्मिलित किया गया है और क्रियान्वयन मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख प्रतिभागी सिविल सोसाइटी संगठनों के कार्य क्षेत्र में किया जायेगा |

प्रस्तावित प्रमाण पत्र कार्यक्रम 16 मॉड्यूल्स में बंटा हुआ है. कार्यक्रम का क्रियान्वयन दो भागो में किया जायेगा. पाठ्यक्रम के प्रथम भाग का उद्देश्य प्रतिभागियों की कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं के बारे में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाना है, साथ ही सीखने की सहजता हेतु कार्यात्मक आइटी और भाषा कौशल को विकसित करना है. पाठ्यक्रम का प्रथम भाग प्रमुख शिक्षा संस्थान में प्रदान किया जायेगा, ताकि प्रतिभागी सीखने के माहौल से अवगत हो सके पाठ्यक्रम का द्वितीय भाग मुख्य रूप से विषयगत मॉड्यूल है. इन मॉड्यूलों का क्रियान्वयन सहभागी सिविल सोसाइटी संगठनो द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में किया जायेगा , जिनका मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र में आजीविका के क्षेत्र में अनुभव, ज्ञान, प्रक्षिशण और कार्यक्रम क्रियान्वयन करने की उच्च पारंगता है. विषयगत मॉड्यूल द्वारा प्रतिभागियों को विविध संदर्भो और कृषि पारिस्थिकी क्षेत्रो में संचालित समेकित आजीविका के हस्तक्षेपो एवं विभिन्न गतिविधियों के बारे में व्यापक रूप से सीखने के अवसर प्रदान करेगा ।

शिक्षण केंद्र मध्य भारतीय राज्यो के आदिवासी क्षेत्र में अग्रणी संगठनो के कार्य कार्यक्षेत्र में स्थित है।

विश्वविद्यालय के प्रमाणीकरण प्रणाली में बिना किसी औपचारिक न्यूनतम अपेक्षित शिक्षा के प्रवेश ।

क्षेत्र आधारित अभ्यास और आईटी सक्षम शिक्षण तथा अभ्यास उपकरण के साथ निरंतर सीखने का अनुभव ।

स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तिगत कौशल और ज्ञान की पहचान।

देश भर से प्रख्यात विद्वानो और अनुभवी व्यवसायियों के साथ निरंतर बातचीत तथा प्रत्येक भागीदार को ऑडियो विसुअल संसाधनों के माध्यम से आईटी सक्षम शिक्षण अधिगम सामग्री व लैपटॉप

ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों को समझने एवम सीखने हेतु व्यवहार पर विशेष ध्यान

शिक्षा मॉड्यूल

फाउंडेशन मॉड्यूल (स्थान: आईआईऐचएमआरयू)
सॉफ्ट स्किल्स / जीवन कौशल
कार्यात्मक आईटी कौशल
कार्यात्मक अंग्रेजी भाषा कौशल
भारत में जनजातीय समुदायो की स्थिति
पानी: बदलाव की आवश्यकता
कोर विषयगत मॉड्यूल (लोकेशन: अलग-अलग क्षेत्र साइट)
सहभागी भूजल प्रबंधन
जल ग्रहण विकास प्रबंधन
सहभागी सिंचाई प्रबंधन और सहभागी जल प्रबंधन (पीने का पानी)
जल, स्वच्छता एवम व्यक्तिगत स्वच्छता (WASH)
लिंग और आजीविका
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सामलात संसाधन प्रबंधन
मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण कृषि आधारित आजीविका (I): सम्पूर्ण कृषि दृष्टिकोण का परिचय
मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण में कृषि आधारित आजीविका (II): कृषि में गैर-कीटनाशक प्रबंधन
एक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण गैर कृषि आजीविका : पशुधन प्रबंधन और मुर्गी पालन
संस्था निर्माण 1: महिलाओं के स्व-सहायता समूह और आजीविका
संस्था निर्माण 2: मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण में ग्रामीण समुदाय उद्यम मॉडल
अधिकार और पात्रता 1: वन आधारित आजीविका
अधिकार और पात्रता 2: विकेन्द्रीकृत शासन और लोक संस्थान

कार्यक्रम शुल्क:

ट्यूशन शुल्क	INR 3,00,000
चुने गए उम्मीदवारों के लिए देय शुल्क	INR 20,000

उपरोक्त कार्यक्रम शुल्क शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए है, जिसमे कार्यक्रम में प्रवेश के बाद अध्ययन सामग्री, आवासीय सुविधाएं, भोजन, यात्रा और पुस्तकालय प्रवेश शामिल है। हालांकि प्रतिभागियों को व्यक्तिगत और आकस्मिक व्यय वहन करना होगा जैसे की कपड़े, दवायें आदि। समूह दुर्घटना बीमा बीआरएलएफ की संस्थागत नीति के अनुसार सभी सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रदान किया जाएगा। व्यक्तिगत उम्मीदवारों / नामांकित एजेंसियों / संस्थाओं को प्रवेश के समय कार्यक्रम ट्यूशन के रूप में रु 20,000 का भुगतान करना होगा। योग्यता के आधार पर 100 % फीस की माफ़ी दी जा सकती है।

आवेदन कैसे करें:

बीआरएलएफ / आईआईऐचएमआरयू की वेबसाइट से आवेदन पैक डाउनलोड करें जिसमे नामांकन फार्म और आवेदन फार्म होगा।

- अपने नामांकन का समर्थन करने के लिए अपने वर्तमान संगठन / संस्था से चर्चा *
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पैक cprl@brlf.in को ईमेल करें या इस पते पर चर्चा पोस्ट करें : भारत रूरल लाईविलीहूड्स फाउंडेशन सी-**32**, दूसरी मंजिल, नीति बाघ, नई दिल्ली, **110049**

आवेदन भेजने के लिए अंतिम तिथि - **05 अक्टूबर' 2018**

* संस्थान अपने वर्तमान स्टाफ़/ कर्मचारियों / दल के सदस्यों / सीआरपीस को सीधे मनोनीत कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया द्वारा अभ्यर्थियों के दसवीं कक्षा के स्तर के बराबर लिखने, पढ़ने और गणित के कौशल का मूल्यांकन किया जायेगा

पात्रता मापदंड:

उम्मीदवारों के लिए:

- उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति / अधिसूचित/ विमुक्त जनजाति एवं विशेष रूप से अति कमजोर जनजाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए
- उम्मीदवार बीआरएलएफ के चयनित कार्यक्षेत्र का निवासी होना चाहिए
- उम्मीदवार 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के बीच होना चाहिए
- उम्मीदवार को क्षेत्र में कुछ काम का अनुभव होना चाहिए
- उम्मीदवार को पढ़ने, लिखने और दसवीं कक्षा के स्तर का गणित कौशल ज्ञान का एक घोषणा पत्र पेश करना अनिवार्य है (स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से परीक्षण किया जा सकता है)

नामांकन संस्थानों / संगठनों के लिए:

- बीआरएलएफ के चयनित क्षेत्र के सभी स्टेट रूरल लिवेलीहूडस मिशन, राज्य के ग्रामीण विकास विभाग, और पंचायती राज संस्थाएँ उम्मीदवारों को मनोनीत करने के पात्र हैं
- नामांकित करने वाला एनजीओ / सीबीओ आयकर अधिनियम धारा 12 ए के तहत पंजीकृत होना चाहिए
- संस्था का मुख्य केंद्र आदिवासी, विकास और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर होना चाहिए
- संस्था / संगठन के संचालन क्षेत्र बीआरएलएफ के चयनित क्षेत्र में होना चाहिए

प्रशिक्षण स्थान

- एसीटी, भुज, कच्छ, गुजरात
- एकेआरएसपी, सायला, सुरेंद्रनगर, गुजरात
- आनंदी, सायला, गुजरात
- एफइएस, उदयपुर, राजस्थान
- युवा मित्र, सिन्नर, नाशिक, महाराष्ट्र
- चैतन्य, राजगुरुनगर, महाराष्ट्र
- मेंधा (लेखा) जीपी, एसईटीयू अभियान गढ़चिरौली, महाराष्ट्र
- डब्ल्यूएएसएसएएन, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश
- उद्योगिनी और डीईएफ़, रांची, झारखंड
- पीआरएएन, बोधगया, बिहार
- पानी संस्थान, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश

बीआरएलएॅफ़ की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र संस्था के तौर पर की गयी ताकि सरकार के साथ नागरिक संगठनों की भागीदारी को बल मिल सके. बीआरएलएॅफ़ संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त इकाई के तौर पर कार्य करती है .

बीआरएलएॅफ़ का गठन मध्य भारतीय आदिवासी क्षेत्रों, जो कि फाउंडेशन का प्राथमिकता वाला भोगोलिक क्षेत्र है, के निवासियों की आजीविका व जीवन में सकरात्मक बदलाव लाने के लिए, सरकार के साथ भागीदारी में नागरिक संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देने व सहजीकृत करने की दृष्टि से किया गया है इसका प्रमुख लक्ष्य विशेषकर . आदिवासी समुदाय के लोगों के सशक्तिकरण से जुड़े ज़मीनी स्तर के हस्तक्षेपों को सहयोग करना | तथा, उन विधाओं को बढ़ावा देना है जो कि कार्यक्रम के तहत की जाने वाली गतिविधि व उसको करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति, दोनों ही स्तरों पर नवीनता लिए हों |

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे :

भारत रूरल लाईविलीहूड्स फाउंडेशन
सी-**32**, दूसरी मंजिल, नीति बाघ, नई दिल्ली, **110049**

ईमेल: **cprl@brlf.in**

Phone: 011-46061935, 8294239454, 9953078078
Fax No: 011-41013385